

[2025:आरजे-जेपी:4235-डीबी]

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1102/2025

सुनील अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल, उम्र लगभग 64 वर्ष, पता के-6 बी आदर्श
नगर जयपुर 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416,
चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड,
जोधपुर।

----उत्तरदाता

संबंधित

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1129/2025

सुनील अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल, उम्र लगभग 64 वर्ष, पता के-6 बी
आदर्श नगर जयपुर 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416,
चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड,
जोधपुर।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1156/2025

सुनील अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल, उम्र लगभग 64 वर्ष, पता के-6 बी
आदर्श नगर जयपुर 302004।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416,
चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड,
जोधपुर।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1264/2025

सुनील अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल, उम्र लगभग 64 वर्ष, पता के-6 बी
आदर्श नगर जयपुर 302004।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416,
चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड,
जोधपुर।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15159/2024

विजय कुमार चोरडिया पुत्र राजमल चोरडिया, उम्र लगभग 60 वर्ष, पता 1631,
चोरडिया भवन, सोंथली वालों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयकर उपायुक्त, सेंट्रल सर्कल - 4, जयपुर, पता: कमरा नंबर 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी भवन, अंबेडकर सर्कल, जयपुर
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल, जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर

----उत्तरदाता

संबंधित

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12783/2024

हरि मोहन डंगायच पुत्र श्री राम बिलास डंगायच, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी 2, गोविंद मार्ग, जयपुर 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12784/2024

राकेश कुमार विजय पुत्र श्री नाथू लाल विजय, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी सी-66, साकेत कॉलोनी, पुलिस थाना के सामने, आदर्श नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड,

जोधपुर।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13019/2024

हरि मोहन डंगायच पुत्र श्री राम बिलास डंगायच, उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी 2, गोविंद मार्ग, जयपुर 302004।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13053/2024

राकेश कुमार विजय पुत्र श्री नाथू लाल विजय, उम्र लगभग 71 वर्ष, निवासी सी-66, साकेत कॉलोनी, पुलिस थाना के सामने, आदर्श नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयकर उपायुक्त, सेंट्रल सर्कल - 4, जयपुर, पता: कमरा नंबर 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी भवन, अंबेडकर सर्कल, जयपुर
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल, जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16619/2024

राधा मोहन माहेश्वरी पुत्र बद्री नारायण तोतला, उम्र लगभग 55 वर्ष, पता एम-54 महेश कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16628/2024

राधा मोहन माहेश्वरी पुत्र बद्री नारायण तोतला, उम्र लगभग 55 वर्ष, पता एम-54 महेश कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16630/2024

राधा मोहन माहेश्वरी पुत्र बद्री नारायण तोतला, उम्र लगभग 55 वर्ष, पता एम-54 महेश कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416,
-

- चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16631/2024

राधा मोहन माहेश्वरी पुत्र बद्री नारायण तोतला, उम्र लगभग 55 वर्ष, पता एम-54 महेश कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर।

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17471/2024

निर्मल कुमार बरडिया, पुत्र सागरमल कल्याणमल जैन, आयु लगभग 63 वर्ष, पता 24, बरडिया कॉलोनी, म्यूजियम रोड, जयपुर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17584/2024

निर्मल कुमार बरडिया, पुत्र सागरमल कल्याणमल जैन, आयु लगभग 63 वर्ष,
पता 24, बरडिया कॉलोनी, म्यूजियम रोड, जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416,
चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड,
जोधपुर।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17600/2024

निर्मल कुमार बरडिया, पुत्र सागरमल कल्याणमल जैन, आयु लगभग 63 वर्ष,
पता 24, बरडिया कॉलोनी, म्यूजियम रोड, जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416,
चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड,
जोधपुर।

----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18301/2024

द्वारका प्रसाद खंडेलवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद खंडेलवाल, उम्र लगभग 53 वर्ष,
निवासी एस-5, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयकर उपायुक्त, सेंट्रल सर्कल - 4, जयपुर, पता: कमरा नंबर 416,
चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी भवन, अंबेडकर सर्कल, जयपुर
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल, जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-
रोड, जोधपुर

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18942/2024

संजीव कुमार जैन पुत्र श्री चांदमल जैन, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी एस-1 ए,
महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयकर उपायुक्त, सेंट्रल सर्कल - 4, जयपुर, पता: कमरा नंबर 416,
चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी भवन, अंबेडकर सर्कल, जयपुर
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल, जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-
रोड, जोधपुर

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18985/2024

संजीव कुमार जैन पुत्र श्री चांदमल जैन, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी एस-1 ए,
महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयकर उपायुक्त, सेंट्रल सर्कल - 4, जयपुर, पता: कमरा नंबर 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी भवन, अंबेडकर सर्कल, जयपुर
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्कल, जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर

-----उत्तरदाता

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 422/2025

रविशंकर झंवर पुत्र श्री घासी लाल झंवर, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 8, बरकत नगर, टोंक रोड, जयपुर 302018

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर, पता: कमरा संख्या 416, चतुर्थ तल, जीवन निधि, एलआईसी बिल्डिंग, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, सेंट्रल जोधपुर, आयकर भवन, पावटा, सी-रोड, जोधपुर।

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री सिद्धार्थ रांका, अधिवक्ता के साथ
श्री रोहन चैटर, ।
सुश्री सात्विका झा, अधिवक्ता,
सुश्री अपेक्षा बापना, अधिवक्ता,
श्री मुजफ्फर इकबाल, अधिवक्ता।
एवं श्री सौरभ हर्ष, अधिवक्ता।

उत्तरदाता (ओं) के लिए : श्री सिद्धार्थ बापना, अधिवक्ता,
श्री सर्वेश जैन, अधिवक्ता,
श्री मेहुल मित्तल, अधिवक्ता।
एवं श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता।

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती. जस्टिस शुभा मेहता

आदेश

30/01/2025

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. इन रिट याचिकाओं पर इस आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि इनमें शामिल तथ्य और मुद्दे समान हैं। हालाँकि, कुछ मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे '1961 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 271डी और अन्य में धारा 271ई के तहत जुर्माना लगाया गया था। धारा 271डी और धारा 271ई की भाषा समरूप है। सुविधा के लिए, तथ्य डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1102/2025 से लिए जा रहे हैं।
 2. यह याचिका कर निर्धारण वर्ष 2012-2013 के लिए 1961 के अधिनियम की धारा 271ई के तहत जारी दिनांक 01.10.2024, 03.01.2025, 13.01.2025 के नोटिसों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
-

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के परिसर में तलाशी ली गई थी। 1961 के अधिनियम की धारा 148 के तहत शुरू की गई कार्यवाही 12.03.2024 के पुनर्मूल्यांकन आदेश के साथ समाप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप 1961 के अधिनियम की धारा 69ए और 69सी के तहत क्रमशः 9,90,000/- रुपये और 23,785/- रुपये की वृद्धि हुई। यह आदेश अतिरिक्त आयकर आयुक्त (इसके बाद 'एसीआईटी') से अनुमोदन के बाद पारित किया गया था। 01.10.2024 को याचिकाकर्ता को 1961 के अधिनियम की धारा 271ई के तहत जुर्माना लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 16.10.2024 की प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने **आयकर आयुक्त बनाम जय लक्ष्मी राइस मिल्स [(2015) 379 आईटीआर 521 (एससी)]** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और यह तर्क दिया कि 1961 के अधिनियम की धारा 271ई के तहत दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए पुनर्मूल्यांकन आदेश में कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई थी। दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और 03.01.2025 को एक नोटिस जारी किया गया। इसलिए, वर्तमान रिट याचिकाप्रस्तुत की गई है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुद्दा यह है कि धारा 271डी के तहत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है भले ही एओ का ऐसा करने का इरादा रहा हो, यह **जय लक्ष्मी राइस मिल्स (उपरोक्त)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर किया गया है।

5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका में दाखिल उत्तर को सभी संबंधित मामलों में अपनाया गया है। प्रस्तुत उत्तर के साथ दाखिल अनुलग्नकों पर भरोसा किया गया है कि आयकर उपायुक्त (इसके बाद 'डीसीआईटी') ने दिनांक 01.08.2024 के पत्र द्वारा धारा 271ई के अंतर्गत जुर्माना लगाने के लिए मामले को एसीआईटी को संदर्भित किया था और एसीआईटी ने 24.09.2024 को संतुष्टि दर्ज की थी। यह तर्क दिया गया है कि धारा 271ई के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी (इसके बाद 'एओ') द्वारा संतुष्टि दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए उद्धरण में अंतर करने में असमर्थ रहे।

6. पुनर्मूल्यांकन आदेश 12.03.2024 को पारित किया गया और धारा 271ई के तहत जुर्माना कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई।

7. 01.08.2024 को डीसीआईटी द्वारा एसीआईटी को दिए गए संदर्भ पर निर्भरता विभाग के मामले को नहीं बढ़ाएगी क्योंकि संदर्भ डीसीआईटी द्वारा पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के समापन के बाद था।

8. एसीआईटी द्वारा दिनांक 24.09.2024 को दर्ज की गई संतुष्टि को संबंधित एओ द्वारा पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में दर्ज की जाने वाली संतुष्टि के बराबर नहीं माना जा सकता है।

9. **जय लक्ष्मी राइस मिल्स (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या धारा 271डी के तहत दंड की कार्यवाही निर्धारण कार्यवाही से स्वतंत्र है। उस मामले में, प्रतिप्रेषण के अनुसरण में पारित निर्धारण आदेश में धारा 2701ई के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई थी। हालाँकि, एओ ने धारा 271(1(सी)) के तहत कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था। दंड की कार्यवाही इस आधार पर रद्द कर दी गई कि एओ द्वारा दर्ज की गई संतुष्टि के अभाव में दंड नहीं लगाया जा सकता।

11. इस मामले में डीसीआईटी ने 1961 के अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत कार्यवाही के लिए केवल संतुष्टि दर्ज की थी और धारा 271डी के तहत दंड कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई थी।

12. वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुद्दा **जय लक्ष्मी राइस मिल्स (उपरोक्त)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से समाहित है। धारा 271ई के तहत जारी नोटिस और उसके अनुसरण में की गई कार्यवाही रद्द की जाती है।

13. रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।

(शुभा मेहता), जे

(अवनीश झिंगन), जे

हिमांशु सोनी/30-32, 85, 92-107

रिपोर्ट करने योग्य:- हां

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate
